UPCD010008432026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–1, चन्दौली।
उपस्थितः अशोक कुमार–XI, एच.जे.एस.
J.O.Code U.P. 6128
अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या : 136 सन् 2026

तोफी उर्फ तौफीक कुरैशी पुत्र इस्लाम बनाम राज्य।

मु.अ.सं. : 11 सन् 2026
धाराः 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम
व 3(5) बी.एन.एस.
थाना : इलिया, जनपद : चन्दौली।

दिनाँकः 11.03.2026,

1. प्रार्थी/अभियुक्त तोफी उर्फ तौफीक कुरैशी पुत्र इस्लाम की ओर से मु.अ.सं. 11/2026, अन्तर्गत धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 3(5) बी.एन.एस., थाना– इलिया, जिला चन्दौली के मामले में अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने हेतु अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–136/2026 प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त तोफी उर्फ तौफीक कुरैशी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र एवं शपथपत्र से यह स्पष्ट है कि यह अभियुक्त उपरोक्त का प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में न ही प्रस्तुत है, न ही लम्बित है न ही निस्तारित ही है।

2. **संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि;**

3. दिनाँक 18.02.2026 को उपनिरीक्षक गिरीश बल्लभ शुक्ल, मय हमराह थाना हाजा से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र करते हुए माल्दह पुलिया पर संदिग्ध व्यक्ति एवं संदिग्ध वाहन की चेकिंग कर रहा था कि कुछ देर बाद उपनिरीक्षक रविन्द्र कुमार सिंह व हे.का. हरिकिशुन प्रजापति देखभाल क्षेत्र करते हुए माल्दह पुलिया पर आ गये, जिनके साथ गो–तस्करी एवं शराब तस्करी की रोकथाम व अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में बातचीत कर रहे थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि 04 व्यक्ति कुछ गोवंशों को लेकर खझरा पहाड़ी के रास्ते पैदल हांककर वध हेतु बिहार प्रदेश ले जा रहे है। सूचना पर विश्वास करके खझरा पहाड़ी की तरफ पहुंचे कि पुलिस वालों ने देखा कि पहाड़ी के किनारे–किनारे कुछ लोग गोवंशों को हांकते मारते तेजी से बिहार की तरफ पैदल ही लेकर जा रह है। मुखबिर के इशारा करके हट जाने के बाद पुलिस वाले गोवंशों को लेकर जा रहे व्यक्तियों को पीछे से दौड़ाकर घेरघार कर कुछ दूर जाते–जाते गोवंशों के साथ पहाड़ी के किनारे पर ही पकड़ लिया। पकड़े गये 4 नफर व्यक्तियों से बारी–बारी से नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम दशरथ राम पुत्र स्व. लालू राम, दूसरे ने अपना नाम संजय पाण्डेय पुत्र संकठा पाण्डेय, तीसरे ने अपना नाम मारकण्डेय धोबी पुत्र सदीक एवं चौथे ने अपना नाम दुलारे पासवान पुत्र रामगति पासवान बताया। पकड़े गये चारों व्यक्तियों के कब्जे से कुल 10 राशि गोवंश बरामद हुआ। बरामदशुदा गोवंशों के विषय में पकड़े गये व्यक्तियों से पूछा गया तो चारो व्यक्तियों ने बताया कि हम लोग तोफी उर्फ तफन कुरैशी पुत्र अज्ञात एवं मन्ना कुरैशी पुत्र अज्ञात, शहनवाज कसाई पुत्र अज्ञात के साथ मिलकर उत्तर–प्रदेश के चकिया, शहाबगंज, बबुरी आदि जगहों से कम दामों में खरीदकर वध हेतु बिहार में चैनपुर ले जाकर ज्यादा दाम में बेच देते है और जो फायदा होता है, उसमें हम सभी लोग आपस में

Digitally signed by ASHOK KUMAR
Date: 2026.03.11 16:13:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

बांट लेते है। बरामद गोवंशों को कब्जा पुलिस लिया गया और अभियुक्तगण को कारण गिरफ्तारी बताकर हिरासत पुलिस में लिया गया तथा फर्द आदि मौके पर तैयार कर थाने लाकर मुकदमा पंजीकृत कराया गया।

4. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र के माध्यम से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त को उपरोक्त मुकदमा में वादी मुकदमा द्वारा गलत, मनगढ़न्त एवं काल्पनिक कथानक के आधार पर तंग व परेशान करने की नियत से थाना पुलिस द्वारा मुल्जिम बनाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष हैं, उसने कोई अपराध नहीं किया है। अभियोजन कथानक पूर्णतः कपोलकल्पित है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कथित ऐसा कोई अपराध नहीं किया गया है और न ही प्रार्थी का उक्त कथित घटना से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त पर लगाये गये आरोप धारा–482 की उपधारा–4 बी.एन.एस.एस. की परिधि में नहीं आता है। उक्त अपराध में थाना– इलिया की पुलिस उसे तलाश कर रही है तथा विवेचक द्वारा अनावश्यक रुप से परेशान किया जा रहा है। इस बात की प्रबल आशंका है कि पुलिस किसी भी समय प्रार्थी को गलत एवं विधि–विरुद्ध तरीके से गिरफ्तार कर प्रार्थी के सामाजिक क्षति को खराब कर सकती है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। कथित घटना में गिरफ्तार सह–अभियुक्तों से प्रार्थी की कोई जान–पहचान नहीं है और न ही प्रार्थी द्वारा उनके साथ मिलकर गोवंशों का क्रय–विक्रय किया जाता है। कथित घटना में प्रार्थी को मौके पर मौजूद होना नहीं कहा गया है और न ही सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर पैदल हांकने की बात नहीं कही गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त के अन्यत्र पलायित होने की संभावना नहीं है तथा प्रार्थी/अभियुक्त विवेचना में पूर्ण सहयोग करने के लिए तैयार है। उपरोक्त के आधार पर अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

5. अभियोजन की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी पेशेवर गो–तस्कर है। उसके द्वारा अन्य सह–अभियुक्तगण, जिन्हें मुखबिर की सूचना पर थाना इलिया की पुलिस द्वारा 10 राशि गोवंशों को क्रूरतापूर्वक मारते–पीटते वध हेतु बिहार ले जाते समय मौके से पकड़ा गया था, के साथ मिलकर गोवंशों को वध हेतु परिवहन कराया जा रहा था। मौके से पकड़े गये सह–अभियुक्तगण के बयान के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त जमानत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

6. अग्रिम जमानत प्रार्थना पर पत्र प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य कीओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. प्रस्तुत मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना दिनाँकित 18.02.2026 समय करीब 17:24 बजे के बाबत वादी मुकदमा उपनिरीक्षक द्वारा तैयार की गयी फर्द बरामदगी के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त एवं अन्य सह–अभियुक्तगण के विरुद्ध दिनाँक 18.02.2026 समय 22:00 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में गोवंशों को चकिया, शहाबगंज, बबुरी आदि जगहों से खरीदकर वध हेतु बिहार में चैनपुर ले जाकर विक्रय किये जाने का अभियोग है। इसी क्रम में सह–अभियुक्तगण को 10 राशि गोवंशों को क्रूरतापूर्वक मारते–पीटते वध हेतु बिहार ले जाये जाते समय मौके से पकड़ा गया है। दौरान पूछताछ सह–अभियुक्तगण के बयान के आधार पर प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त को नामित किया जाना कहा गया है। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना संकलित किये गये साक्ष्यों से उक्त अपराध को कारित

करने में प्रार्थी/अभियुक्त की प्रथम दृष्ट्या संलिप्तता प्रतीत होती है। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत के संदर्भ में उत्तर प्रदेश गोवंश निवारण अधिनियम संशोधित अधिनियम 2020 जो कि दिनांक 11.06.2020 से प्रभावी है, की धारा 7ए(1)(बी) को दृष्टिगत रखना होगा। उक्त वर्णित तथ्यों एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आधार अग्रिम जमानत पर्याप्त नहीं है। अस्तु प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त तोफी उर्फ तौफीक कुरैशी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है।

(अशोक कुमार–XI)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–1, चन्दौली।

दिनाँक : 11.03.2026

स्टेनोग्राफर– राजीव कुमार सिंह